राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग

कमांकःप.8(ग)( )नियम/डी.एल.बी./17/ 21167-21200 जयपुर, दिनांकः 14/6/17

जिला कलेक्टर,
समस्त राजस्थान।

विषयः **राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 121 के अन्तर्गत कराधान से संबंधित अपील पत्रावलियां हस्तान्तरण करने बाबत्।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्थान नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 121 कराधान से संबंधित अपील का प्रावधान राजस्थान नगर पालिका (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा संशोधित कर दिया गया है। जिसका राजस्थान राज–पत्र भाग–(iv)–क में दिनांक 18.05.2017 को प्रकाशित हो गया है जो निम्नवत् हैः–

"**121. कराधान से संबंधित अपीले–** कर–निर्धारण या कर–निर्धारण में किसी परिवर्तन के विरूद्ध अपील, और ऐसे समस्त मामलों में, जिनमें यथापूर्वोक्त कोई अपील नहीं की गयी है, धारा 130 के अधीन मांग के किसी नोटिस के विरूद्ध अपील,–

(क) नगर निगम के मामले में, आयुक्त को; और

(ख) नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड के मामले में, संबंधित स्थानीय निकाय के क्षेत्रीय उप निदेशक को,

की जा सकेगी"।"

अतएव उपरोक्त संशोधित प्रावधानानुसार कराधान से संबंधित समस्त लंम्बित अपीले संबंधित अपील अधिकारी को हस्तान्तरित करावे।

संलग्नः राजस्थान राज–पत्र भाग–(iv)–क
दिनांक 18.05.2017

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

कमांकःप.8(ग)( )नियम/डी.एल.बी./17/ 21201-21590 जयपुर, दिनांकः 14/6/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक,मा.मंत्रीमहोदय, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग राज0जयपुर
3. समस्त जिला कलक्टर राजस्थान।
4. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राज0।
5. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान।
6. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,नगरनिगम/परिषद/पालिका समस्त राज0।
7. सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
साधिकार प्रकाशित
Published by Authority
वैशाख 28, गुरुवार, शाके 1939–मई 18, 2017
Vaisakha 28, Thursday, Saka 1939-May 18, 2017
भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप–2)

अधिसूचना

जयपुर, मई 18, 2017

संख्या प. 2 (24) विधि/2/2017:–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 मई, 2016 को प्राप्त हुई, एतदद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:–

राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2017

(2017 का अधिनियम संख्यांक 27)

[राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 मई, 2017 को प्राप्त हुई]

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को और संशोधित करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान नगरपालिका (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम, 2017 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2009 के राजस्थान अधिनियम सं. 18 की धारा 45 का संशोधन.- राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 45 की उप-धारा (1) के विद्यमान खण्ड (द) और (ध) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"121. कराधान से संबंधित अपीलें.- कर-निर्धारण या कर-निर्धारण में किसी परिवर्तन के विरुद्ध अपील, और ऐसे समस्त मामलों में, जिनमें यथापूर्वोक्त कोई अपील नहीं की गयी है, धारा 130 के अधीन मांग के किसी नोटिस के विरुद्ध अपील,-

(क) नगर निगम के मामले में, आयुक्त को; और

(ख) नगर परिषद् और नगरपालिक बोर्ड के मामले में, संबंधित स्थानीय निकाय के क्षेत्रीय उप निदेशक को,

की जा सकेगी।"।

मनोज कुमार व्यास,
प्रमुख शासन सचिव।

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)
NOTIFICATION
Jaipur, May 18, 2017

No. F. 2 (24) Vidhi/2/2017.-In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of (the Rajasthan Nagarpalika Chaturtha Sanshodhan) Adhiniyam, 2017 (2017 ka Adhiniyam Shankhyank 27) :-

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN MUNICIPALITIES (FOURTH AMENDMENT) ACT, 2017

(Act No. 27 of 2017)

[Received the assent of the Governor on the 17th day of May, 2017]

An

Act

further to amend the Rajasthan Municipalities Act, 2009.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty- eighth Year of the Republic of India, as follows:-